

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़
Pre-emption Appl.-01/2020-21

अरुण कुमार भगत
बनाम
नैमूर रहमान एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
09.03.2022	<u>आदेश</u> यह अपील वाद अपीलकर्ता अरुण कुमार भगत, पिता-द्वारिका प्रसाद भगत, सा0-महेशपुर, जिला-पाकुड़ के द्वारा 1. नैमूर रहमान, पिता-स्व0 जैनल आवेदिन एवं 2. श्रीमती कोड़ा, पति-रूपलाल कोड़ा, दोनों का सा0-चापतुड़ा, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ के न्यायालय के प्री-इम्पेशन वाद सं0-03/2019-20 में दिनांक 14.10.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। मामला संक्षेप में यह है कि अंचल लिट्टीपाड़ा अन्तर्गत मौजा-चापतुड़ा, अंचल-महेशपुर के दाग सं0-02 अन्तर्गत रकबा 0-4-½ धूर जमीन उत्तरवादी सं0-1 नैमूर रहमान के द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0-1287/15 दिनांक 30.04.2019 के माध्यम से उत्तरवादी सं0-2 श्रीमती कोड़ा को बेचा गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि के प्रथम क्रयाधिकार (Pre-emption right) का दावा करते हुए निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसे प्री-इम्पेशन वाद सं0-03/2019-20 पंजीकृत किया गया। सुनवाई के क्रम में इस वाद के अपीलार्थी एवं उत्तरवादी सं0-2 श्रीमती कोड़ा के द्वारा निम्न न्यायालय में एक joint Compromise Petition (संयुक्त सुलहनामा) दाखिल किया गया। उक्त संयुक्त सुलहनामा आवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2020 को आदेश पारित करते हुए सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत किया गया एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की गई। पुनः दिनांक 14.10.2020 को आदेश पारित किया गया जिसमें वाद को अस्वीकृत किया गया है। यह अपील आवेदन इसी आदेश के विरुद्ध किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी का मूल रूप से यह कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.06.2020 के द्वारा संयुक्त सुलहनामा को स्वीकृत किया गया था परन्तु पुनः दिनांक 14.10.2020 को आदेश पारित कर वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार निम्न	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय द्वारा अपने ही पूर्व पारित आदेश का पुनःसमीक्षा (Review) किया गया जो बिल्कुल गलत, कानून से परे एवं अवैध है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि के आड़ी रैयत (Adjacent Raiyat) है एवं Pre-emption हेतु ससमय एवं विधिवत आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी एवं उत्तरवादी सं०-२ के बीच सुलहनामा हुआ जिसे निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 13.06.2020 बिल्कुल सही एवं विधिसम्मत है। उनका आगे कहना है कि उक्त आदेश के बाद अपीलार्थी द्वारा कई बार निम्न न्यायालय में जमा की गई राशि को उत्तरवादी सं०-२ के पक्ष में मुक्त करने का प्रयास किया गया परन्तु राशि विमुक्त नहीं की गई एवं बिना किसी सूचना के स्वतः दिनांक 14.10.2020 को आदेश पारित किया गया कि "उक्त वाद में द्वितीय पक्ष श्रीमती कोड़ा अनुसूचित जनजाति के है और प्रथम पक्ष आवेदक अरुण कुमार भगत अन्य जाति के। उक्त परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति का किसी भी अन्य जाति में भूमि रजिस्ट्री नहीं होता है। अतः उक्त वाद को अस्वीकृत किया जाता है।" उनका आगे कहना है कि यह आदेश बिल्कुल गलत है। प्रश्नगत भूमि मूल रूप में अनुसूचित जनजाति की है ही नहीं। यह नैमूर रहमान (उत्तरवादी सं०-१) की थी जो आदिवासी नहीं है। भूमि विक्रयशील मौजा अन्तर्गत है। अतः इसकी खरीद-विक्री में कोई प्रतिबंध नहीं है। बिक्री होने मात्र से ही खतियान में परिवर्तन नहीं होता है। खतियान (Record of right) अपरिवर्तनशील है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा यह कहना कि प्रश्नगत भूमि का अनुसूचित जनजाति द्वारा किसी अन्य जाति के व्यक्ति को भूमि की विक्री नहीं की जा सकती, बिल्कुल गलत एवं नियम विरुद्ध है। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 को निरस्त (Set-aside) करने तथा दिनांक 13.06.2020 को पारित आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया। उत्तरवादी के विज्ञा अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 को पारित आदेश बिल्कुल सही एवं विधिसम्मत है। भूमि का एक बार निबंधन होने के बाद ही उसपर केता का स्वत्व (Title) उत्पन्न हो जाता है। प्रश्नगत भूमि के कय के साथ ही उस पर उत्तरवादी सं०-२ का Title उत्पन्न हो गया एवं अब ये नहीं कहा जा सकता कि भूमि श्रीमती कोड़ा की नहीं अपितु नैमूर रहमान की है।	



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	उनका आगे कहना है कि जब अनुसूचित जनजाति की भूमि की बिक्री किसी अन्य जाति के साथ हो ही नहीं सकती है तो समझौते का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। उनके द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के संदर्भित हिस्से की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया। धारा 20 (2) एवं 20 (3) का उद्धरण निम्नवत् है— Sec.-20(2) “ Notwithstanding any thing to the contained in the record of right, no right of an aboriginal raiyat in his holding or any portion thereof which is transferable shall be transferred in any manner to any one but a bonafide cultivating aboriginal raiyat of the pargana or taluk or tappa in which the holding is situated.” Provided that nothing in this sub-section shall apply to a transfer made by an aboriginal raiyat of his right in his holding or portion thereof in favour of his gardi jamai or ghar jamai: Sec. 20(3) “ No transfer in contravention of sub-section (1) or (2) shall be registered, or shall be in any way recognised as valid by any court, whether in exercise of civil, criminal or revenue jurisdiction.” उनका आगे कहना है कि एक बार भूमि की बिक्री हो जाने के बाद Title pass कर जाता है एवं अब प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जनजाति की है तथा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम-1949 के उक्त प्रावधान से आच्छादित है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखने एवं अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेश काफी संक्षिप्त हैं एवं कानूनी पहलुओं पर कोई विवेचना नहीं की गई है। Joint Compromise Petition का अवलोकन किया गया। उक्त सुलहनामा आवेदन के पारा-III में यह अंकित है कि जमा राशि उत्तरवादी सं०-01 (इस वाद की उत्तरवादी सं०-2) के पक्ष में न्यायालय द्वारा मुक्त किया जाना है। स्पष्टतः इस पारा में न्यायालय को भी एक पक्षकार बना दिया गया है। चूंकि समझौता न्यायालय से बाहर हुआ है इसलिए निबंधन एवं राशि का भुगतान दो पक्षकारों के	



आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी, तारीख
सहित

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	3
1	2	
	बीच का मामला बनता है न कि न्यायालय के हस्तक्षेप से भुगतान किये जाने का। साथ ही, सुलहनामा निम्न न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद उसके विधिक महत्व एवं गुणावगुण की विवेचना किये बिना निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2020 का आदेश पारित किया गया है। यह तथ्य निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2020 को शक्तिबाह्य पारित आदेश से भी परिलक्षित होता है। दिनांक 14.10.2020 को पारित आदेश पूर्व पारित आदेश से बिल्कुल भिन्न है एवं एक ही न्यायालय बिना किसी सक्षम प्राधिकार/न्यायालय के आदेश की पुनर्समीक्षा (Review) नहीं कर सकती है, इसलिए यह विधि के विरुद्ध है। अतः उपयुक्त विवेचना के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेशों (दिनांक 13.08.2020 एवं 14.10.2020) को त्रुटिपूर्ण पाते हुए उसे निरस्त किया जाता है। साथ ही यह वाद निम्न दो बिन्दुओं पर पुनः समीक्षा हेतु निम्न न्यायालय को Remand किया जाता है। 1. निबंधित विक्रय केवाला के माध्यम से किसी आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) द्वारा कय की गई भूमि को अनुसूचित जनजाति के उस व्यक्ति द्वारा किसी गैर अनुसूचित जनजाति को निबंधित केवाला से बिक्री या अन्य किसी माध्यम से हस्तान्तरण किया जा सकता है अथवा नहीं? 2. दाखिल किया गया Joint Compromise Petition, कानून की नजर में Maintainable है अथवा नहीं? उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, पाकुड़। उपायुक्त, पाकुड़।	